कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

ांक : रीडर/खाला/24/1366 दिनांक :– 13.11.2025

आदेश

(अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 जनरल (कॉलोनी कंडीशन्स 8(1)RCA 1954)

प्रार्थी भादरराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया ने प्रार्थना त्र प्रस्तुत कर चक 1 एसएनजी प.न. 214/151 मु.न. 45 किला नम्बर 5,6,15,16 गै.मु. खाला स्थान पर खातेदारी अंकन किये जाने हेतु निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पर तहसीलदार संगरिया ने अपने पत्रांक ए.2/डी/खा–रा/बा–नह /भू.अ./2024/3991 दिनांक 08.10.2025 द्वारा चक 1 एसएनजी के प.न. 214/151 मु.न. 45 कला नं. 5/2/0.025 गै.मु.खाला 6/2/0.025 गै.मु.खाला 15/2/0.025 गै.मु. खाला, 6/2/0.025 गै.मु.खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन मौके पर उक्त बीघा में खाला ालायमान नही होना बतलाते हुए उक्त गै.मु.खाला का निरस्त कर मुमकिन दर्ज किये जाने की नुशंषा की गई एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ ने अपने पत्रांक 2289 दिनांक 18.09.2025 द्वारा चक 1 एसएनजी प.न. 214/151 के किला नं. 5,6,15,16 में जलमार्ग नही चल रहा है न ही उक्त रकबे पर किसी भी न्यायालय में आज दिनाक तक कोई प्रकरण विचाराधीन नही होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

अतः उक्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संगरिया उक्त गै.मु. प्रश्नगत जलमार्ग का संबधित काश्तकार के नाम नियमानुसार बकाया रकम आदि कोई शेष हो तो जमा कराने के बाद में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर)

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रमांक :– सम/1367 दिनांक :– 13.11.2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार भू–अभिलेख संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कर तत्काल रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ।
3. श्री...।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया